

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड I
PART I—Section I

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 12] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 16, 1978/पौष 26, 1899
No. 12] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 16, 1978/PAUSA 26, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 3-ई० टी० सी० (पी० एन०)/78/

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 1978

विषय:—भारत सरकार द्वारा अंगलादेश को दिये गये 20 मिलियन रुपये के पण्यवस्तु
अनुदान के मद्दे निर्यात।

मिसिल सं० 5/28/77-ई०-I.—उपर्युक्त विषय पर, सार्वजनिक सूचना सं० 24-ई० टी० सी०
(पी० एन०)/77 दिनांक 1-8-77 द्वारा तथा संशोधित वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना
सं० 8-ई० टी० सी० (पी० एन०)/77 दिनांक 14-8-77 को और ध्यान दिलाया जाता है।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने पर यह निश्चय किया गया है कि अबतक सा० नू० सं० 8-
ई० टी० सी० (पी० एन०)/77 में उल्लिखित वस्तुओं की सूची और उनसे संबंधित प्रावधानों को

परिशोधित किया जाये। तदनुसार, उसका पैरा 2 अब निम्नलिखित मदों/उच्चतम सीमा के लिये लागू होगा :—

क्रम सं०	मद	धनराशि (लाख रु० में)
1.	समक	21.00
2.	गेहूं के बीज	21.50
3.	पत्थर और शिलाखण्ड	20.00
4.	इमारती लकड़ी	शून्य
5.	तम्बाकू	50.31
6.	कंकड़ और शिलाखण्ड	57.29
7.	पम्पों के लिये फालतू पुर्जे	5.00
8.	जी० आई० पाइप	9.00
9.	बूने के पत्थर	15.90

		200.00

3. यह भी निश्चय किया गया है कि पण्यवस्तु अनुदान के अधीन संविदा पर हस्ताक्षर करने और धनराशि निकालवाने की अन्तिम तिथि क्रमशः 30 जून, 1977 से 31 मार्च, 1978 और 3 सितम्बर, 1977 से 30 जून, 1978 तक बढ़ाई जाये।

के० बी० शेषाद्रि, मुख्य नियंत्रक

MINISTRY OF COMMERCE
EXPORT TRADE CONTROL
PUBLIC NOTICE NO. 3-ETC (PN)/78

New Delhi, the 16th January, 78

Sub :—Export against commodity grant of Rs. 20 million extended by the Government of India to the Govt. of Bangladesh.

File No. 5/28/77-ETC.—Attention is invited to the Min. of Commerce Public Notice No. 8-ETC(PN)/77 dated 14-3-77 as amended by Public Notice No. 24-ETC (PN)/77 dated 1-9-77 on the above subject.

2. On a review of the situation, it has been decided to revise the list of the commodities and the respective allocations set down in the said Public Notice No.

8-ETC(PN)/77. Accordingly the para 2 thereof will now apply to the following items/coilings :—

S.No.	Item	Amount (Rs. in lakhs)
1.	Salt	21.00
2.	Wheat seeds	21.50
3.	Stone and Boulders	20.00
4.	Timber	Nil
5.	Tobacco	50.31
6.	Ballast & Boulders	57.29
7.	Spares for pumps	5.00
8.	G.I. Pipes	9.00
9.	Limestone	15.90
		200.00

3. It has been also decided to extend the last date for signing of the contract and drawal of funds under this commodity grant, from 30th June 1977 to 31st March 1978 and from 30th September 1977 to 30th June 1978 respectively.

K.V. SESHADRI, Chief Controller

